न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00462

1. लटूर लाल आत्मज गोपाल जाति मीणा ।
2. बाबूलाल आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासीगण अरनियां तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बिहारी लाल आत्मज गोपाल ।
2. मदारी उर्फ बनवारी लाल आत्मज गोपाल ।
3. मुरारी लाल आत्मज गोपाल निवासीगण अरनियां तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महावीर सेन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राकेश सुवालका, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 29.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अरनियां तहसील लाडपुरा में कुल 05 किता की रकबा 8.86 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के शामलाती खाते की है। वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से विभाजन हो गया था जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक के 1/5 – 1/5 हिस्से अनुसार विभाजन किया गया था । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जिससे लगान एवं सिंचाई कर जमा कराने में परेशानी आती है । वादीगण को अधिकार प्राप्त

है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये एवं उनके हिस्से में प्राप्त भूमि को अपने पृथक खाते दर्ज करावे एवं पृथक लगान कायम करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करें ।

4. प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.06.2016 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 व 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना प्रतिवादीगण की उपस्थिति में वाद डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार सुक्खा जी के 02 पुत्र गोपाल व गणेश थे जिनका उक्त आराजी में 1/2 – 1/2 हिस्सा था । अपीलान्ट गणेश के 1/2 हिस्से की भूमि व अपने पिता गोपाल जी से प्राप्त हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा नहीं है बल्कि 1/10 – 1/10 हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में बिना प्रतिवादीगण अपीलान्ट को सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में डिक्री किया है । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं थी । प्रारम्भिक डिक्री की पालना में पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनाने व प्रतिवादी के खिलाफ दावा डिक्री होने की जानकारी दिनांक 15.05.2018 को दी जिस पर दिनांक 16.05.2018 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 10.07.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विभाजन हेतु पेश किया है । इस भूमि में वादीगण और प्रतिवादीगण के शामिल खाते में 1/5 – 1/5 हिस्सा है । जवाबदावा प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया । गणेश

लाऔलाद फौत हो गया था इनका कियाकर्म अपीलान्ट बाबूलाल ने किया था । इस कारण गणेश के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट बाबूलाल काबिज हो गये । इस प्रकार वादीगण का इस आराजी में 1/10 – 1/10 हिस्सा है और प्रतिवादीगण का 7/10 हिस्सा है । परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत में प्रतिवादीगण को सूचना दिये बिना प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी । अपीलान्ट के द्वारा जो दस्तावेजात पेश किये गये थे उनका अवलोकन नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2011–12 (सप्ली0) पेज 698, आरआरटी 2017 (1) पेज 446, आरआरटी 2018–19 पेज 394 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 03.06.2016 के निर्णय व डिक्री की अपील विलम्ब से पेश की है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । परीक्षण न्यायालय के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करने हुत तहसीलदार को पत्र लिखे हैं । तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव आये हैं और विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति भी पेश की गई है परन्तु इन समस्त तथ्यों को आदेशिका में अंकित नहीं किया गया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पूर्ण नहीं है । परीक्षण न्यायालय की आगे की पत्रावली मंगवायी जावे ।

11. अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

12. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज भू–प्रबन्ध विभाग की नकल जमाबन्दी संवत् 2016–24 की प्रमाणित प्रति है जिसमें कुल 04 किता की 51 बीघा 15 बिस्वा भूमि गणेश, गोपाल पिसरान सुखा के खाते में दर्ज है । पेश किया गया दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । उक्त दस्तावेज प्राकरण से सम्बन्धित है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 31.10.2014 के अनुसार वकील वादी को गवाह पेश करने के लिए मौका दिया गया है इसके उपरान्त प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी पेश करने के लिए पेश किया गया है और दिनांक 08.04.2015 की आदेशिका के अनुसार 200/– रूपये हर्जे पर जमाबन्दी को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश पारित किया गया है । इसके उपरान्त पत्रावली में कुछ तारीख पेशियॉ दी गई हैं और दिनांक 03.06.2016 को कैम्प कोर्ट में वादीगण बिहारीलाल, कृष्ण मुरारी और मदारी की उपस्थिति दर्ज की गई है । प्रतिवादी में से कोई

उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । पत्रावली के पृष्ठ संख्या 07 पर जो तनकीयात कायम की गई हैं वो संलग्न हैं ।

15. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 प्रदर्श– 1 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2016–24 भी संलग्न है जिस पर कोई प्रदर्श नम्बर अंकित नहीं किया गया है ।

16. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर पीडब्ल्यू– 1 के रूप में मुरारी लाल का शपथ पत्र संलग्न है परन्तु मुरारी लाल ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है।

17. इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री जारी करने से पूर्व सीपीसी के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है । दावा एवं जवाबदावा आने के उपरान्त निर्णय तनकीवार पारित किया जाना अनिवार्य होता है जो परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है और मौखिक साक्ष्य जो पेश हुई है उन्होंने भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । जहॉ तक विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि तहसीलदार को जारी पत्र तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति के बाबत् आदेशिका में कुछ भी अंकित नहीं है । अपील प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई है जो इन तथ्यों से प्रभावित नहीं है । इन तथ्यों पर परीक्षण न्यायालय ध्यान देकर अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व उचित कार्यवाही करें । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की है और आरआरटी 2011–12 (सप्ली0) पेज 698 अंतिम डिक्री के बाबत् है जो इस पर चस्पा नहीं होती है ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.06.22016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की साक्ष्य रिकॉर्ड पर लेकर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी की साक्ष्य के आधार पर विवेचना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 15.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा